

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उर सेवा का नाम, जिसमें वह हो उमृदयाल बाथम 2. वर्तमान धारित पर TMF22

3. वर्तमान धेतन 29700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख उत्तरांक 2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तह: डुडा जिला कोमाल	<del>कोमाल</del> उर	-	4,00,000.	उमृदयाल नाम	उर	मिडि	

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदृश में लगभग मूल्य अंदाजा जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रमुख कार्रवाई और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंशक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

याकेमुंभो-1712-असमाप्रवि-24-1-05-10,000.

हस्ताक्षर: यमृदयाल

नाम: उमृदयाल बाथम

पद: विपुत्र

दिनांक: मार्च 24 2018  
अध्यापक